बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक– 19.5.2014

संख्या..11/फि0(स्था0)–03/2013–211(11)/भारत का संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, स्वास्थ्य विभाग के अधीन, फिजियोथेरापिस्ट एवं अकुपेशनलथेरापिस्ट की नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्तो को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

अध्याय – 1 : प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।–** (1) यह नियमावली ''बिहार फिजियोथेरापिस्ट/अकुपेशनलथेरापिस्ट संवर्ग नियमावली, 2014'' कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ ।–** इस नियमावली में, जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(i) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;

(ii) "विभाग" से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभाग;

(iii) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;

(iv) ''संवर्ग' से अभिप्रेत है फिजियोथेरापिस्ट/अकुपेशनलथेरापिस्ट संवर्ग;

(v) ''नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है मूल कोटि के संदर्भ में निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार और उच्चतर कोटियों के संदर्भ में सरकार; तथा

(vi) ''परिशिष्ट' से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट।

3. **संवर्ग का गठन ।–** (1) बिहार फिजियोथेरापिस्ट/अकुपेशनलथेरापिस्ट संवर्ग राज्य स्तरीय होगी। इस संवर्ग में प्रत्येक कोटि के पदों की संख्या तथा संवर्ग के कुल पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा, समय–समय पर, स्वीकृत की जाय।

(2)इस संवर्ग में निम्नलिखित दो उप–संवर्ग होंगे :–

(क) बिहार फिजियोथेरापिस्ट/अकुपेशनलथेरापिस्ट सामान्य कर्त्तव्य उप–संवर्ग, तथा

(ख) बिहार फिजियोथेरापिस्ट/ अकुपेशनलथेरापिस्ट विशेषज्ञ उप–संवर्ग ।

(3) सामान्य कर्त्तव्य उप–संवर्ग के पदाधिकारी सरकार के अधीन कहीं भी पदस्थापित एवं स्थानांतरित किये जा सकेंगे। विशेषज्ञ उप–संवर्ग के पदाधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों एवं सुपरस्पेशलिटी अस्पतालों में पदस्थापित/ स्थानांतरित किये जा सकेंगे।

4. **संवर्ग का पदसोपान** ।– इस संवर्ग की विभिन्न कोटियाँ एवं पदसोपान परिशिष्ट–1 के अनुसार होंगे।

अध्याय–2 : भर्ती

5. **भर्ती** ।– (1) सामान्य कर्त्तव्य उप–संवर्ग में नियुक्ति मूल कोटि (फिजियोथेरापिस्ट /अकुपेशनलथेरापिस्ट) के पद पर, सीधी भर्ती से, आयोग की अनुशंसा के आधार पर, की जायेगी। विशेषज्ञ उप–संवर्ग में भी नियुक्ति मूल कोटि (विशेषज्ञ फिजियोथेरापिस्ट/ अकुपेशनलथेरापिस्ट) के पद पर, सीधी भर्ती से, आयोग की अनुशंसा के आधार पर होगी।

(2) नियुक्ति हेतु योग्य फिजियोथेरापिस्ट/ अकुपेशनलथेरापिस्ट की अनुपलब्धता की दशा में, आवश्यकतानुसार, लोकहित में, सरकार द्वारा, संविदा के आधार पर, सीमित अवधि के लिए, बाह्य स्त्रोतों से नियुक्ति की जा सकेगी जिसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया सरकार द्वारा अवधारित की जा सकेगी।

6. **अर्हताएँ** ।– (1) सामान्य कर्त्तव्य उप–संवर्ग में फिजियोथेरापिस्ट/ अकुपेशनल थेरापिस्ट के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से बैचलर–इन–फिजियोथेरापी /बैचलर–इन–अकुपेशनलथेरापी होगी।

(2) विशेषज्ञ उपसंवर्ग में विशेषज्ञ फिजियोथेरापिस्ट/ अकुपेशनलथेरापिस्ट के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स–इन–फिजियोथेपी / मास्टर्स–इन–अकुपेशनलथेरापी डिग्री होगी।

(3) बिहार फिजियोथेरापिस्ट/अकुपेशनलथेरापिस्ट संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो सरकार द्वारा, समय–समय पर आरक्षण कोटिवार, विनिश्चित की जाय। संबंधित वर्ष की 1 ली अगस्त को, उम्र के निर्धारणार्थ, 'कट ऑफ डेट' माना जायेगा।

211(11)
19.5.14

7. भर्ती की प्रक्रिया। – (1) नियुक्ति प्राधिकार, वर्ष की 1ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना कर एवं रोस्टर क्लीयरेन्स कराकर, आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजेगा।

(2) **सामान्य कर्त्तव्य उपसंवर्ग (फिजियोथेरापिस्ट / अकुपेशनलथेरापिस्ट)** :–

अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन–पत्र आमंत्रित करेगा और निम्नलिखित आधार पर मेघासूची तैयार करेगाः–

(क)	बैचलर–इन–फिजियोथेरापी / बैचलर–इन–अकुपेशनलथेरापी कोर्स में प्राप्तांक के लिए	– 50 अंक
(ख)	उच्चतर डिग्री के लिए	– 10 अंक
(ग)	राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्यानुभव के लिए (प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक)	– 25 अंक
(घ)	साक्षात्कार के लिए–	– 15 अंक
		कुल 100 अंक

टिप्पणी।– (i) बैचलर–इन–फिजियोथेरापी / बैचलर–इन–अकुपेशनलथेरापी डिग्री की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का अवधारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.5 के गुणक से गुणा करके होगा। यथा, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50% अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50% × 0.5 = 25 अंक दिये जायेंगे।

(ii) न्यूनतम अर्हतांक 30 होगी।

(3) **विशेषज्ञ उप–संवर्ग (विशेषज्ञ फिजियोथेरापिस्ट / अकुपेशनलथेरापिस्ट)** :–

अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन–पत्र आमंत्रित करेगा और निम्नलिखत आधार पर मेघासूची तैयार करेगाः–

2/1(U1)
19.5.14

(क) मास्टर्स–इन–फिजियोथेपी / मास्टर्स–इन–

अकुपेशनलथेरापी डिग्री की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए – 50 अंक

(ख) उच्चतर डिग्री के लिए – 10 अंक

(ग) राज्य के सरकारी अस्पतालों में स्नातकोत्तर डिग्री धारकों द्वारा कार्यानुभव के लिए –25 अंक

(प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक)

(घ) साक्षात्कार के लिए– – 15 अंक

कुल 100 अंक

टिप्पणी।– (i) मास्टर्स–इन–फिजियोथेपी / मास्टर्स–इन–अकुपेशनलथेरापी डिग्री की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का अवधारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.5 के गुणक से गुणा करके होगा। यथा, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50% अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50% × 0.5 = 25 अंक दिये जायेंगे।

(ii) न्यूनतम अर्हतांक 30 होगी।

(4) साक्षात्कार की प्रक्रिया आयोग द्वारा अवधारित की जायेगी।

(5) उपनियम (2) एवं उपनियम (3)के आधार पर मेधासूची तैयार करने के पश्चात्, आयोग के द्वारा, नियुक्ति प्राधिकार के सहयोग से, प्रमाणपत्र की प्रारम्भिक जाँच एवं स्वास्थ्य जाँच करायी जायेगी और तत्पश्चात् अंतिम अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकार को भेजी जायेगी। नियुक्ति प्राधिकार के स्तर पर भी प्रमाण पत्रों की प्रारंम्भिक जाँच के पश्चात् अनुशंसित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त का सत्यापन करा लिया जायेगा।

(6) आयोग की अनुशंसा के उपरान्त नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में सरकार द्वारा, समय–समय पर, निर्गत अनुदेशों का अनुपालन आवश्यक होगा।

211(11)
19.5.14

अध्याय – 3: परिवीक्षा/विभागीय परीक्षा/सम्पुष्टि

8. **परिवीक्षा अवधि।**– नियुक्ति के उपरान्त अभ्यर्थी परिवीक्षाधीन रहेंगे। परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए किया जायेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जायेगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे फिजियोथेरापिस्ट/अकुपेशनलथेरापिस्ट को सेवामुक्त कर सकेगा।

9. **प्रशिक्षण।**– परिवीक्षा अवधि में परिवीक्षाधीन पदाधिकारी को ऐसे प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा जो विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय।

10. **विभागीय परीक्षा।**– परिवीक्षा अवधि को संतोषजनक ढंग से पूरा करने और प्रशिक्षण (कोषागार प्रशिक्षण सहित) के सफलतापूर्वक पूरा करने के अतिरिक्त विभागीय परीक्षा में भी उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम विभाग द्वारा, केन्द्रीय परीक्षा समिति के परामर्श से, निर्धारित किया जायेगा।

11. **सम्पुष्टि।**– परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक ढंग से पूरा होने, प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त पदाधिकारी को सेवा में सम्पुष्ट किया जा सकेगा।

12. **वरीयता।**– पदाधिकारियों की आपसी वरीयता आयोग द्वारा अंतिम रूप से तैयार की गयी मेधासूची के अनुसार विनिश्चित की जायेगी।

2/1(11)
19.5.14

अध्याय–4: प्रोन्नति

13. प्रोन्नति ।– (1) सेवा में सम्पुष्ट पदाधिकारियों को रिक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, योग्यता–सह–वरीयता के अनुसार, परिशिष्ट–1 में उल्लिखित प्रोन्नति के पद सोपान के अनुसार प्रोन्नति दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) प्रोन्नति के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर, निर्गत 'कालावधि' संबंधी अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।

(3) सरकार द्वारा, समय–समय पर, निर्गत प्रोन्नति संबंधी और चारित्री/ पी0ए0आर0 संबंधी, आरोप/विभागीय कार्यवाही/ अपराधिक कार्यवाही आदि संबंधी अनुदेशों का अनुपालन करना प्रोन्नति पर विचारण के समय, अपेक्षित होगा।

14. विभागीय प्रोन्नति समिति ।– प्रोन्नतियाँ विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर विचारणीय होंगी। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा।

अध्याय 5 : प्रकीर्ण

15. आरक्षण ।– सरकार के आरक्षण अधिनियम और सरकार द्वारा समय–समय पर सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

16. परिशिष्ट–1 में अंकित पद–सोपान सरकार के अनुमोदन के पश्चात ही प्रभावी होगा। यदि अनुमोदन पर विचार के क्रम में सरकार द्वारा परिशिष्ट–1 में अंकित पदसोपान में कोई परिवर्तन या संशोधन किया जाता है तो परिशिष्ट–1 तदनुसार परिवर्तित या संशोधित समझा जायेगा और ऐसा परिवर्तित/संशोधित पद–सोपान इस नियमावली का अंग माना जायेगा।

211 (11)
19.5.14